संख्या- 89/2015/1360/एक-6-2015-135(20)/2012

प्रेषक,

डा0 अशोक कुमार वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 23 नवम्बर, 2015**

विषय: वेतन समिति (2008) की राजकीय विभागों के अनुरेखक (ट्रेसर) तथा मानचित्रकार संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के पत्र संख्या-वे0आ0-2-2044/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 17-08-2010 द्वारा संसूचित राजकीय विभागों के अनुरेखक तथा मानचित्रकार संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के क्रम में राजस्व परिषद, उ0 प्र0 के अनुरेखक तथा मानचित्रकार संवर्ग में इस शासनादेश के साथ अनुलग्नक-1 के स्तम्भ में उल्लिखित पद नाम के समक्ष स्तम्भ-3 व 4 में इंगित वेतन, स्तम्भ-5 में इंगित पदों की संख्या का अनुलग्नक-2 के स्तम्भ-2 के अनुसार पदनाम, स्तम्भ-3 व 4 के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, स्तम्भ-5 के अनुसार पदों की संख्या तथा स्तम्भ-6 के अनुसार पदों को भरे जाने की सहर्ष स्वीकृति दिनांक 17-08-2010 से प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्तानुसार उच्चीकृत ग्रेड वेतन में संबंधित पद धारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/10-2009 दिनांक 24-12-2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3- उक्त शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-974/दस-15 दिनांक 20 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 अशोक कुमार वर्मा)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 1360(1)/एक-6-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग- 1 /2, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
4- वित्त सामान्य अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।